

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2317/2011/भरतपुर

मै आर्कटिक ड्रिंक्स प्रा.लि.,  
भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,  
अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री एन.के.बैद,  
उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 12/06/2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त अपीलस, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 281/उपा-अपीलस/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 तहत कायम मांग राशि रूपये 12,80,074/- को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2005-06 का क्रय कर प्रोत्साहन योजना के तहत जमा नहीं करवाया गया, इस कारण सशक्त अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2009 से अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2005-06 के Closing Stock पर चाहे गये रूपये 11,29,050/- के आई टी सी को अमान्य कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर देरी से जमा कराने के कारण मांग राशि कायम कर दी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कथन किया कि बिक्री कर प्रोत्साहन के तहत कर मुक्त इकाई से क्रय किया गया माल कर चुका माना जाता है, इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी को Closing Stock पर चाहा गया आई टी सी दिया जावे। इस प्रकार कर निर्धारण आदेश में देरी से जमा करवाये कर पर आरोपित ब्याज

को भी अपास्त करने का निवेदन किया, क्योंकि अगर अपीलार्थी व्यवहारी को आई टी सी दिया जाता है, तो ब्याज आरोपणीय नहीं था। आगे उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 1072/2008 स्टेट आफ पंजाब एवं अन्य बनाम मैसर्स बनाम मैसर्स परफेक्ट सिन्थेटिक्स एक्सेक्ट्रा में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2008, 23 टैक्स वर्ल्ड 398 एवं 2011 यू पी टी सी 1051 को उद्धृत कर अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभागीय उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2006 को शेष रहे कर चुके माल पर आई टी सी देने सम्बन्धी प्रावधान है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि पुराने अधिनियम (1994) के तहत चुकाये गई कर राशि का आई टी सी देय होगा। हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी ने बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्त इकाई से माल क्रय किया है और उस पर कोई कर नहीं चुकाया है इस कारण से व्यवहारी को किसी प्रकार का आई टी सी देयता नहीं बनता है। व्यवहारी द्वारा आई टी सी देने के सम्बन्ध में जिन न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, उनके तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मैसर्स वरुण ब्रिवरेज लिमिटेड को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त था, इसलिए उसके द्वारा जारी बिलों में ना तो कर वसूल किया गया और न ही राजकोष में जमा कराया है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नानुसार है :-

"19. Input tax credit for stock on the date of commencement of this Act.- Input tax credit shall be allowed on the goods other than capital goods, which has suffered tax under the repealed Act, and are lying in stock of the dealer on the date of commencement of this Act, provided that such dealer has submitted he details of such stock, as required by the Commissioner under section 93 of the repealed Act or section 91 of this Act, and such goods in stock are used for the purposes specified in clause(a) to (f) of sub section (1) of section 18. However, the Input tax credit under this section shall be allowed to the extent of the tax paid under the repealed Act or the amount of tax payable on such goods under this Act, whichever is less.

इसलिए अपीलीय अधिकारी ने क्लोजिंग स्टॉक पर आई टी सी अस्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है।

अधिनियम की धारा 18 एवं 19 में वर्णित शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आई टी सी देय नहीं है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय  
सदस्य



( खेमराज )  
अध्यक्ष